छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

विविध याचिका क्षतिपूर्ति सं 1171/2023

न्यू इंडिया इंश्योरेंस (सही नाम एश्योरेंस है) कंपनी लिमिटेड, शाखा प्रबंधक के द्वारा, स्थानीय पता – श्रीराम ट्रेड सेंटर, द्वितीय तल, एक्सिस बैंक के ऊपर, रिजवी प्लाजा के सामने, पुराना बस स्टेशन, बिलासपुर, तहसील एवं जिला – बिलासपुर (छ.ग.), (वाहन मारुति वैन छ.ग.– 10 – एनसी – 1842 का बीमाकर्ता),..... (अनावेदक क्रमांक 3)

---अपीलकर्ता

बनाम

1 – सुनीता बाई साहू पति तिलकराम साहू लगभग 42 वर्ष की आयु गांव बेलेतारा, पुलिस थाना रतनपुर, तहसील तथा जिला–बिलासपुर (सी. जी.)

2 – शत्रुहन लाल साहू पिता तिलकराम साहू , 23 वर्ष , निवासी गाँव बेलेतारा, पुलिस थाना रतनपुर, तहसील तथा जिला–बिलासपुर (सी. जी.)

3 – रामकुमार साहू पिता बृहस्पति राम साहू , 32 वर्ष, जाति तेली, निवासी ग्राम नवगाँव, पुलिस थाना रतनपुर, तहसील कोटा, जिला–बिलासपुर (सी. जी.), (वाहन मारुति वैन सी. जी.–10–एन. सी.–1842), (अनावेदक संख्या 1)

---उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी हेतु :श्री पंकज अग्रवाल तथा श्रीमती स्वाति अग्रवाल, अधिवक्तागण

उत्तरवादी 1 और 2 हेतु :श्री आनंद केशरवानी, अधिवक्ता

एकल पीठ :

माननीय श्री संजय के. अग्रवाल,न्यायाधीश

पीठ पर निर्णय

20.08.2025

1. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (संक्षेप में "1988 का अधिनियम") की धारा 173 के तहत यह अपील अपीलकर्ता/बीमा कंपनी द्वारा दावा प्रकरण क्रमांक 979/2021 में विद्वान VI वें अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा

अधिकरण, बिलासपुर, जिला– बिलासपुर (छ.ग.) द्वारा पारित दिनांक 23/03/2023 के आक्षेपित अधिनिर्णय को चुनौती देने की मांग करते हुए की गई है, जिसके तहत विद्वान दावा अधिकरण ने अमन साहू की मृत्यु के लिए दावाकर्ता को क्षतिपूर्ति के रूप में कुल 5,00,000/– रुपये की राशि प्रदान की है और क्षतिपूर्ति के भुगतान का दायित्व अपीलकर्ता/बीमा कंपनी पर लगाया गया है।

2. इस अपील के निराकरण के लिए सुसंगत मामले के तथ्य यह हैं कि 25/04/2021 को दोपहर लगभग 2 बजे, मृतक अमन साहू मारुति वैन असर पंजीकरण संख्या सीजी 10 एनसी 1842 चला रहा था, उसके साथ शत्रुहन लाल और राजेंद्र साहू यात्री के रूप में बैठे थे और वे ग्राम बेलतरा से ग्राम कुली जा रहे थे और रास्ते में, चूंकि उक्त वाहन का टायर फट गया, अमन साहू के सिर, हाथ और पैर में चोटें आईं और 25/04/2021 को इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।

3. विद्वान दावा न्यायाधिकरण ने संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्क और साक्ष्यों की सराहना करते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया है कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन, जो यहां उत्तरवादी संख्या 3 का था, के टायर फटने के कारण, मृतक अमन साहू, जो वाहन चला रहा था, को गंभीर चोटें आईं और उसकी मृत्यु हो गई और चूंकि उक्त वाहन अपीलकर्ता (बीमा कंपनी) के साथ विधिवत बीमाकृत था और बीमा पॉलिसी (एक्स. डी/1) ने तीसरे पक्ष के जोखिम को कवर किया था और इसलिए 1988 के अधिनियम की धारा 163 के साथ संलग्न दूसरी अनुसूची के अनुसार 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ दावाकर्ता को 5,00,000/– रुपये का क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि चूंकि मृतक अमन साहू ने अपने रिश्तेदार राम कुमार साहू (उत्तरवादी संख्या 3) से वाहन उधार लिया था, इसलिए, वह भी अधिनियम 1988 की धारा 2(30) के तहत परिभाषित वाहन के मालिक की श्रेणी में आएंगे और चूंकि दुर्घटना के समय वाहन उनके कब्जे में था, इसलिए, यहां उत्तरवादी संख्या 1 और 2/दावाकर्ता 1988 के अधिनियम की धारा 163–ए के तहत किसी भी क्षतिपूर्ति के हकदार नहीं होंगे और इस तरह, आक्षेपित अधिनिर्णय को अपास्त किया जाना चाहिए।

5. उत्तरवादी संख्या 1 और 2 के विद्वान अधिवक्ता आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हैं और प्रस्तुत करते हैं कि मृतक अमन साहू, ऋणी होने के नाते, निस्संदेह तृतीय पक्ष की श्रेणी में आते हैं, इसलिए, बीमा पॉलिसी (एक्स. डी/1) के अनुसार, दावा न्यायाधिकरण ने उत्तरवादी संख्या 1 और 2/दावेदारों के पक्ष में उचित रूप से क्षतिपूर्ति प्रदान किया है और वर्तमान अपील खारिज किए जाने योग्य है।

6. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, उनके द्वारा ऊपर दिए गए प्रतिद्वन्द्वी निवेदनों पर विचार किया है तथा अभिलेखों का अत्यंत सावधानी से अध्ययन किया है।

7. यह विवाद का विषय नहीं है कि दुर्घटना दुर्घटनाग्रस्त वाहन के टायर फटने के कारण हुई थी, जिसका स्वामित्व उत्तरवादी संख्या 3 अर्थात् राम कुमार साहू के पास था और यह अपीलकर्ता (बीमा कंपनी) के साथ

विधिवत रूप से बीमाकृत था, जिसमें तीसरे पक्ष के जोखिम को शामिल किया गया था, जिसके लिए उचित प्रीमियम का भुगतान किया गया था।

8. इस अपील में एकमात्र प्रश्न यह है कि, "क्या मृतक 1988 के अधिनियम की धारा 163–ए के तहत क्षतिपूर्ति का दावा करने के लिए तीसरे पक्ष की श्रेणी में आएगा, क्योंकि तीसरे पक्ष का जोखिम बीमा पॉलिसी (एक्स. डी/1) द्वारा शामिल किया गया है?"

9. “"स्वामी" को 1988 के अधिनियम की धारा 2 (30) के तहत परिभाषित किया गया है जो निम्नानुसार है:–––

2. परिभाषाएं – इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, – (30) "स्वामी" से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसके नाम पर मोटर वाहन पंजीकृत है, और जहां ऐसा व्यक्ति अवयस्क है, वहां ऐसे अवयस्क का संरक्षक, और ऐसे मोटर वाहन के संबंध में जो अवक्रय करार, या पट्टा करार या दृष्टिबंधन करार का विषय है, उस करार के तहत वाहन के कब्जे में व्यक्ति;

10. उपर्युक्त परिभाषा का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने पर पता चलता है कि "स्वामी" में वह व्यक्ति शामिल होगा (i) जिसके नाम पर मोटर वाहन पंजीकृत है, (ii) यदि ऐसा व्यक्ति नाबालिग है, तो उसका अभिभावक, और (iii) यदि मोटर वाहन किसी किराया–खरीद करार, या पट्टे के समझौते या दृष्टिबंधक के करार का विषय है, तो उस करार के तहत उक्त वाहन के कब्जे में व्यक्ति।1988 के अधिनियम की धारा 2(30) केवल 1988 के अधिनियम के प्रयोजन के लिए पट्टेदार के पक्ष में स्वामित्व का कानूनी काल्पनिकता का निर्माण करती है, लेकिन सामान्य रूप से विधि के प्रयोजन के लिए नहीं (देखें:**औद्योगिकऋण एवं विकास सिंडिकेट लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, मैसूर एवं अन्य 1)।**

11. वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता (बीमा कंपनी) ने केवल यह तर्क दिया है कि चूंकि मृतक अमन साहू दुर्घटनाग्रस्त वाहन चला रहा था, इसलिए वह तीसरे पक्ष की श्रेणी में नहीं आएगा।अपीलकर्ता (बीमा कंपनी) द्वारा यह तर्क नहीं दिया गया कि मृतक 1 (2013) 3 एससीसी 541, 1988 के अधिनियम की धारा 2(30) के तहत परिभाषित 'स्वामी' की श्रेणी में आता है।अन्यथा भी, अपीलकर्ता (बीमा कंपनी) का यह मामला नहीं है कि मृतक वाहन का पंजीकृत स्वामी था क्योंकि यह स्वीकृत तथ्य है कि उत्तरवादी संख्या 3, राम कुमार साहू, वाहन का पंजीकृत स्वामी था और अपीलकर्ता (बीमा कंपनी) का यह भी मामला नहीं है कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन किसी किराया–खरीद करार, या पट्टे के करार या दृष्टिबंधक के करार का विषय था और उपरोक्त किसी भी करार के तहत मृतक के कब्जे में था।इस मामले के दृष्टिकोण से, यह अभिनिर्धारित नहीं अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि मृतक वाहन को 'स्वामी' की हैसियत से चला रहा था।मेरी सुविचारित राय में, यद्यपि मृतक वाहन के स्वामी का रिश्तेदार था, फिर भी वह तृतीय पक्ष की श्रेणी में आता है क्योंकि वह स्वामी नहीं था और उसने स्वामी से वाहन उधार लिया था और चूँकि वाहन का विधिवत बीमा किया गया था जो तृतीय पक्ष के जोखिम को कवर करता था, इसलिए उत्तरवादी संख्या 1 और 2/दावाकर्ता को अधिनियम 1988 की धारा

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

163–ए के अंतर्गत 5,00,000/– रुपये के क्षतिपूर्ति के लिए उचित रूप से हकदार माना गया है।मुझे आक्षेपित अधिनिर्णय में कोई कमी या अवैधता नहीं मिलती है।

12. तदनुसार, यह अपील, गुणदोष से रहित होने के कारण, उत्तरदायी है तथा इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है तथा पक्षकारों को अपने खर्च स्वयं वहन करना होगा।

सही/–

(संजय के. अग्रवाल)

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य*

प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वियन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur